



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



22 भाद्र, 1945 (श०)

संख्या - 29 राँची, बुधवार

13 सितम्बर, 2023 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 242-261
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेशों के
आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए.,
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग और
2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप्लोमा-इन-एड.,
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम
छात्रवृत्ति प्रदान आदि

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ
एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम
'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित
विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के
पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ,
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ
इत्यादि।

प्रक-

...

...

प्रक "अ"

...

...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

26 जून, 2023

संख्या-3/स्था०डी०-01-80/2022-734 (3)—डॉ० मंजुला मुर्मू जिला आ०सी०एच० पदाधिकारी, देवघर सम्प्रति. प्रतिनियुक्त. जिला आ०सी०एच० पदाधिकारी, जामताड़ा को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-74 (ख) एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 6190/वि० दिनांक 27.04.1979 में निहित प्रावधान के अधीन अधिसूचना निर्गत की तिथि से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

जयकिशोर प्रसाद,

सरकार के अपर सचिव ।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

26 जून, 2023

संख्या-3/स्था०डी०-01-80/2022-735(3)—डॉ० प्रदीप कुमार साहु, चिकित्सा पदाधिकारी, एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-74 (ख) एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 6190/वि० दिनांक 27.04.1979 में निहित प्रावधान के अधीन अधिसूचना निर्गत की तिथि से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

जयकिशोर प्रसाद,

सरकार के अपर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

24 अगस्त, 2023

संख्या-05/सी०सी०ए०-01/23/2023-395/CCA--उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, **गढ़वा** के पत्रांक-**588/विधि**, दिनांक-**01.08.2023** द्वारा जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 के तहत शक्ति प्रत्यायोजन का अनुरोध किया गया है। इसमें झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि **गढ़वा** जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरुद्ध करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निरुद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 अंगीकृत की धारा 12(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हेतु झारखण्ड राज्य के **गढ़वा** जिला के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 12(2) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी **तीन माह** तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

लखन राम नायक,

सरकार के अवर सचिव।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

24 अगस्त, 2023

संख्या-05/सी०सी०ए०-01/20/2023-396/CCA--उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, **सिमडेगा** के पत्रांक-**222/विधि**, दिनांक-**12.08.2023** द्वारा जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 के तहत शक्ति प्रत्यायोजन का अनुरोध किया गया है। इसमें झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि **सिमडेगा** जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरुद्ध करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निरुद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 अंगीकृत की धारा 12(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हेतु झारखण्ड राज्य के **सिमडेगा** जिला के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 12(2) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी **तीन माह** तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

लखन राम नायक,

सरकार के अवर सचिव।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

24 अगस्त, 2023

संख्या-05/सी०सी०ए०-01/25/2023-397/CCA--उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, **जमशेदपुर** के पत्रांक-**280(A)/विधि**, दिनांक-**12.08.2023** द्वारा जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 के तहत शक्ति प्रत्यायोजन का अनुरोध किया गया है। इसमें झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि **जमशेदपुर** जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरूद्ध करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निरूद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 अंगीकृत की धारा 12(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हेतु झारखण्ड राज्य के **जमशेदपुर** जिला के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 12(2) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी **तीन माह** तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

लखन राम नायक,

सरकार के अवर सचिव।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

28 अगस्त, 2023

संख्या-05/सी०सी०ए०-01/02/2023-405/CCA--उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, **रामगढ़** के पत्रांक-**1132/विधि**, दिनांक-**18.08.2023** द्वारा जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 के तहत शक्ति प्रत्यायोजन का अनुरोध किया गया है। इसमें झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि **रामगढ़** जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरुद्ध करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निरुद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 अंगीकृत की धारा 12(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हेतु झारखण्ड राज्य के **रामगढ़** जिला के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 12(2) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी **तीन माह** तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

लखन राम नायक,
सरकार के अवर सचिव।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

18 अगस्त, 2023

1. **संख्या-12/पी०-8005/2014(खण्ड)-3776--श्री प्रदीप कुमार**, पुलिस उपाधीक्षक, पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक, आतंकवाद निरोधी दस्ता (ए०टी०एस०), राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
2. **संख्या-12/पी०-8005/2014(खण्ड)-3777--श्री रोहित रंजन सिंह**, पुलिस उपाधीक्षक, पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक, आतंकवाद निरोधी दस्ता (ए०टी०एस०), राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
3. **संख्या-12/पी०-8005/2014(खण्ड)-3778--श्री सुरेश प्रसाद यादव**, पुलिस उपाधीक्षक, पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक, आतंकवाद निरोधी दस्ता (ए०टी०एस०), राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
4. **संख्या-12/पी०-8005/2014(खण्ड)-3779--श्री रोहित कुमार रजवार**, पुलिस उपाधीक्षक, पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक, आतंकवाद निरोधी दस्ता (ए०टी०एस०), राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
5. **संख्या-12/पी०-8005/2014(खण्ड)-3780--श्री धनंजय कुमार राम**, पुलिस उपाधीक्षक, पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक, झारखण्ड जगुआर (एस०टी०एफ०), राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

4 सितम्बर, 2023

संख्या-09/नि०सु०(07)-29/2017-5036--निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम-2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम-29) की धारा-25 की उप धारा (01) के प्रावधानों के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या-2165, दिनांक- 24.04.2023 द्वारा झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 अधिसूचित की गई है।

उक्त केन्द्रीय अधिनियम की धारा-3(1) एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-3706, दिनांक-23.08.2022 को अवक्रमित करते हुए श्रीमती मनीषा जोसेफ तिग्गा, संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को पदेन नियंत्री पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अविनाश कुमार,

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

शुद्धि पत्र

25 अगस्त, 2023

संख्या-14/विविध-05/2023-3893--विभागीय अधिसूचना संख्या-3810, दिनांक-22.08.2023 के साथ संलग्न पूर्वी सिंहभूम जिला के चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची के क्रमांक-3 के स्तंभ-1 में टंकण भूलवश "थाना-बहरागोड़ा, प्रखण्ड-बहरागोड़ा" के स्थान पर "थाना-कदमा, प्रखण्ड-जमशेदपुर" एवं हजारीबाग जिला के चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची के क्रमांक-1 के स्तंभ-1 में टंकण भूलवश "प्रखण्ड-बरही" के स्थान पर "प्रखण्ड-माण्डू" टंकित हो गया है।

अतएव उक्त अधिसूचना संख्या-3810, दिनांक-22.08.2023 के सथ संलग्न पूर्वी सिंहभूम जिला के चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची के क्रमांक-03 के स्तंभ-1 में अंकित "थाना-कदमा, प्रखण्ड-जमशेदपुर" के स्थान पर "थाना-बाहरागोड़ा, प्रखण्ड-बहरागोड़ा" एवं हजारीबाग जिला के चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची के क्रमांक-1 के स्तंभ-1 में अंकित "प्रखण्ड-माण्डू" के स्थान पर "प्रखण्ड-बरही" पढ़ा जाए।

2. उक्त अधिसूचना के शेष तथ्य यथावत् रहेंगे।

रविशंकर विद्यार्थी,

सरकार के संयुक्त सचिव।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

23 अगस्त, 2023

संख्या-07/ हो०गा० (स्था०)-24/2014-4796--महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 131, दिनांक- 28.05.2014 द्वारा श्री रवि कुमार कुजूर, तत्कालीन जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी हजारीबाग सम्प्रति जिला समादेष्टा, बोकारो के विरुद्ध हजारीबाग में पदस्थापन काल में डी०भी०सी० कोनार डैम, जी०एम० ऑफिस, सिरका, अरगड़ा, जी०एम० ऑफिस, चरही एवं आकाशवाणी, हजारीबाग में जान बुझ कर एवं निहित स्वार्थवश सरकारी आदेश का उल्लंघन कर 58 वर्ष से अधिक उम्र एवं सेवा मुक्त गृह रक्षकों प्रतिनियुक्ति किये जाने का आरोप प्रतिवेदित है ।

इन आरोपों के लिए श्री कुजूर के विरुद्ध विभागीय संकल्प जापांक-3837, दिनांक-07.07.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही चलाई गयी। विभागीय जाँच पदाधिकारी - सह - संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुजूर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-284, दिनांक-14.12.2015 द्वारा उपलब्ध करायी गई ।

जाँच प्रतिवेदन में श्री कुजूर के विरुद्ध हजारीबाग जिला में पदस्थापन अवधि में 58 वर्ष से अधिक उम्र के गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने तथा ऐसे प्रतिनियुक्त गृह रक्षकों को भुगतान करने का आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है, जो गृह रक्षक संसोधन अधिनियम 2012 की कंडिका-02 तथा वित्त संहिता के नियम-9 का उल्लंघन है ।

श्री कुजूर के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए "एक वेतन वृद्धि संचायात्मक प्रभाव से रोके जाने" का दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दू पर उनसे विभागीय पत्रांक-3465, दिनांक-19.07.2016 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी है। श्री कुजूर द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब पत्रांक-1239, दिनांक 03.10.2016 द्वारा समर्पित किया गया। श्री कुजूर द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया ।

तत्पश्चात समिक्षोपरान्त श्री कुजूर के विरुद्ध प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना सं०-08, दिनांक -02.01.2017 द्वारा उनके विरुद्ध एक वेतन वृद्धि संचायात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

श्री कुजूर द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में W.P(S) No 2592/2017 दायर किया गया। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा W.P(S) No 2592/2017 में दिनांक-24.11.2022 को आदेश पारित किया गया, जिसका Operative Part निम्नवत है:-

Para-3- This goes to suggest that documents were not furnished to the petitioner during the course of inquiry proceeding, Non furnishing of the necessary documents, in spite of a direction given by the inquiry Officer vitiates the inquiry proceeding.

Para-5- Thus it is mandate of law to examine witnesses to prove the guilt of a delinquent, during the inquiry proceeding, Admittedly no witnesses were examined in this case.

Para-6- Both these grounds goes to the root and vitiates the entire proceeding. Thus, the inquiry report and consequential order of punishment is set aside. It will be open to the respondent to proceed against the petitioner as per law, if they so wishes to.

अतएव माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित आदेश दिनांक-24.11.2022 के अनुपालन में श्री कुजूर के विरुद्ध विभागीय अधिसूचना सं0-08, दिनांक-02.01.2017 द्वारा अधिरोपित दण्ड " इनके एक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है" को निरस्त किया जाता है ।

प्रस्ताव पर विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राधेश्याम प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

25 जुलाई, 2023

संख्या-13/सी०पी०ओ०-102/2021-3329--केन्द्रीय संगठन बी०एस०एफ० से झारखण्ड राज्य में प्रतिनियुक्त श्री आशुतोष कुमार सिंह, समादेष्टा, बी०एस०एफ०, सम्प्रति समादेष्टा, झा०स०पु०-05, देवघर की सेवा इनके पैतृक संगठन महानिदेशालय, बी०एस०एफ०, भारत सरकार को वापस की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राधेश्याम प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

HOME, PRISONS AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT-----
NOTIFICATION

16 August, 2023

Memo No.-10/C.B.I.-410/2023-3753--In exercise of the powers conferred under Section-6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946) H.E. the Governor of Jharkhand has been pleased to accord consent to the extension of powers and jurisdiction to the members of Delhi Special Police Establishment in the whole of State of Jharkhand upon request made vide letter number – 1909/3/2(A)/2023-D, dated-03.07.2023 of Superintendent of Police/Head of Branch, CBI, ACB, Dhanbad for registration of regular case against Shri Ratnakar Mallick, Area Personnel Manager, Block-II Area, BCCL, Dhanbad for the offences punishable under Section 13(2) r/w 13(1)(e) of Prevention of Corruption Act, 1988 corresponding to Sec. 13(2) r/w 13(1)(b) of Prevention of Corruption Act, 1988 as amended by PC Amendment Act, 2018.

By order of the Governor of Jharkhand

Pradeep Tigga,Additional Secretary to Government.

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

4 अगस्त, 2023

1. **संख्या-12/पी०-8001/2022-3587--श्री वशिष्ठ नारायण सिंह**, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, लोहरदगा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बेरमो, बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
2. **संख्या-12/पी०-8001/2022-3588--श्री सुमित प्रसाद**, पुलिस उपाधीक्षक, झा०स०पु०-05, देवघर (प्रतिनियुक्त- देवघर जिला साईबर अपराध) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, डुमरी, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
3. **संख्या-12/पी०-8001/2022-3589--श्री जय प्रकाश नारायण चौधरी**, पुलिस उपाधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
4. **संख्या-12/पी०-8001/2022-3590--श्री सुदर्शन कुमार आस्तिक**, पुलिस उपाधीक्षक, पदस्थापन हेतु प्रतिकारत को अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
5. **संख्या-12/पी०-8001/2022-3591--श्री अरविन्द कुमार सिंह**, पुलिस उपाधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी अन्य का पदस्थापन हो गया है एवं उनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, वे पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

8 सितम्बर, 2023

संख्या-14/आ०-120/2015-4057--श्री मृत्युंजय कुमार, भा०पु०से०, तत्कालीन पुलिस उप-महानिरीक्षक, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, झारखण्ड, राँची सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करते हुए विभागीय जापन संख्या-4483, दिनांक-12.08.2017 के परिशिष्ट-'क' के आधार पर गठित "अपने पदस्थापन काल में महिला गृह रक्षक पर उसकी अनिच्छा के बावजूद आवास पर कार्य करने हेतु दबाव बनाने, आवास इयुटी से इनकार करने के बावजूद उक्त महिला गृह रक्षक एवं उनकी माता को कार्यालय में बुलाकर दुर्व्यवहार करने एवं उक्त महिला गृह रक्षक को 55 दिन इयुटी से वंचित रखने का "आरोप, प्रथम द्रष्टया सत्य पाया गया।

2. उपरोक्त आरोप के जाँच के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या-5986, दिनांक-07.11.2017 के द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति की गई।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-36/गो०, दिनांक-14.02.2019 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री मृत्युंजय कुमार, भा०पु०से० के विरुद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री मृत्युंजय कुमार, भा०पु०से०, तत्कालीन पुलिस उप-महानिरीक्षक, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, झारखण्ड, राँची सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही का निस्तार किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रविशंकर विद्यार्थी,

सरकार के सयुक्त सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

6 जुलाई, 2023

संख्या-4/नि०सं०12-10/2021-22002(HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्रीमती कोमल कुमारी, षष्ठम बैच (गृह जिला-चतरा) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ -6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	<u>Current Office</u> Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	KOMAL KUMARI- (110115158935)	DC OFFICE KHUNTI	<u>D C OFFICE</u> <u>KHUNTI</u> <u>.KHUNTI</u> Executive Magistrate	30/07/2020	18/01/2023

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव

जीपीएफ संख्या:PTS/CAC/16

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

8 सितम्बर, 2023

संख्या-14/ए०-07/2020-4064--राँची जिलान्तर्गत सदर थाना काण्ड संख्या-221/20, दिनांक-04.06.2020 मामले में बिना सूचना सत्यापन के छापामारी करने, प्राथमिकी दर्ज करने एवं तत्संबंधी प्रक्रियाओं में गलतियाँ करने साथ ही वरीय पदाधिकारियों के दबाव में विवेकपूर्ण निर्णय नहीं लेने संबंधी आरोपों के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा श्री अवध कुमार यादव, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, एस०टी०एफ०, झारखण्ड, राँची सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक, आतंकवाद निरोधी दस्ता, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गयी।

आरोपों के संबंध में श्री यादव द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की समीक्षा की गयी। पुलिस मुख्यालय द्वारा यह भी अंकित किया गया कि उक्त मामले में श्री यादव के माध्यम से गलती हुई किन्तु उनका Intention doubtful नहीं पाया गया।

सभी तथ्यों के समीक्षोपरान्त श्री अवध कुमार यादव, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, एस०टी०एफ० झारखण्ड, राँची सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक, आतंकवाद निरोधी दस्ता, झारखण्ड, राँची को “निंदन” संसूचित किया जाता है।

उपर्युक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रविशंकर विद्यार्थी,

सरकार के सयुक्त सचिव।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

3 जुलाई, 2023

संख्या-18/विविध-07/13/2019/2960--महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, नई दिल्ली के डी०ओ० पत्र-III/4/एन्कोर्ड-5वां एपेक्स/समन्वय/2022/103, दिनांक-19.01.2023 द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची को नशीले पदार्थ से संबंधित मुद्दों के लिए **State Nodel Officer** नामित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

फुलेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

8 सितम्बर, 2023

1. **संख्या-16/थाना-06/2021-4048**--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 की उप-धारा (एस) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिलान्तर्गत "सेरेंगदा थाना" के सृजन की घोषणा करती है। उक्त थाना का क्षेत्राधिकार निम्नवत् होगी:-

क्र०सं०	थाना का नाम	श्रेणी	कार्यक्षेत्र	
			पंचायत का नाम	गाँव का नाम
1	सेरेंगदा थाना	ग्रामीण नक्सल "ए "	सारुगड़ा	रायम, कोमसाई, भारडीहा, कुदादा, रेयाड़दा सौसल, हिन्दुंग, सारुगड़ा, तेन्दा, सेरेंगदा, सारुड़ा कतिंगकेल ।
			केबरा	औरंगा, कोमोंग, कोतरोगड़ा रेमेन्डकोया, कुमड़ी , झीलकुला, फिलिंगहांसदा, वनजीरा , पोकाम, होरो, बेहड़ा, चिटिर, केबरा, भोक्ताउली।
			टोमडेल	पंडुवा, बुरुलुमीन, बेडालुमीन, सिमको, किरसूद कारेड़ा, कोडांगकेल, लेंगा बेडा, कायन गीतीउली, चिंरुंग, कमाई जोजोदा, टोमडेल, गीलींगगुट्ट, साउड़ीउली।

2. **संख्या-16/थाना-06/2021-4049**--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 की उप-धारा (एस) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिलान्तर्गत "लोढ़ाई थाना" के सृजन की घोषणा करती है। उक्त थाना का क्षेत्राधिकार निम्नवत् होगी:-

क्र०सं०	थाना का नाम	श्रेणी	कार्यक्षेत्र	
			पंचायत का नाम	गाँव का नाम
1	लोढ़ाई थाना	ग्रामीण नक्सल	बुरुगुलीकेरा	गुलीकेरा, जोरो, डुरा, कुटीपी, सोममारी, सईदबा, लोढ़ाई जाते, बेडाकायम, बुरुकायम, देवाई।

		"ए "		
			डरियो कमरोरा	रामगरधा, कुकरू बारू, देवाई, कुदाबेड़ा डरियोकमरोरा, डरियो डीन्डापाई, रोवाइली, जामजुई, हुईलार, लमझार सिदमा , बुरूली , तुराकोया, कुदाबुरू बान्दु कुम्बा।

3. **संख्या-16/थाना-06/2021-4050**--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 की उप-धारा (एस) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिलान्तर्गत "रोबकेरा थाना" के सृजन की घोषणा करती है। उक्त थाना का क्षेत्राधिकार निम्नवत् होगी:-

क्र०सं०	थाना का नाम	श्रेणी	कार्यक्षेत्र	
			पंचायत का नाम	गाँव का नाम
1	रोबकेरा थाना	ग्रामीण नक्सल "ए "	रोबकेरा	रोबकेरा, गुल्लु, बहदा, बाण्डी, कोलेडा, ओमड़ा, क्यौंजली, लेवासुकरा, खटंगबेड़ा गोयराबेड़ा, टीकीमिलान।
			हरता	हरता, हंसाबेड़ा, कडेदा, पुटुंगा, काण्डी, उडरिंग, ओसांगी, रेनगोल्डा, रोमा, बोरोतिका, रंगामाटी, कुदाहंसदा, गुंडरी, पेटीगढ़ा, जोमबेलो, मेरमेण्डा ।
			रूँघीकोचा	रूँघीकोचा, सौदा, गोंदपुर, तेताड़ी, जोरोबाड़ी, गुंडीउली, उन्दुदा, श्रीजंग, बेड़ा कसाई, बुरूकसाई, पतियार, जमीतरी, हुटुटवा, होन्तोपा, अनरोकोचा, पहारडीहा ।

2. उपर्युक्त तीन थाना के गठन हेतु आवश्यक पदों का सृजन एवं वाहनों के क्रय कालांतर में प्रशासी पदवर्ग के समिति के अनुशंसा के उपरांत की जायेगी, जिसके निमित्त अलग से स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जायेगा ।

3. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

तदाशा मिश्र,
सरकार के विशेष सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

13 सितम्बर, 2022

संख्या-16/नि०-01/2022-3675--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या-V, 1861) की धारा-46 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, पुलिस हस्तक नियम 1978 नियम 663 (ए)(i) (अधिसूचना संख्या-3667, दिनांक-15.06.2015) में निम्नांकित संशोधन करते हैं:-

1. अधिसूचना संख्या-3667, दिनांक-15.06.2015 के कंडिका-2 में अंकित निम्न प्रावधान:-

"2. पुलिस के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन- पुलिस के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण में राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। द्वितीय चरण में होने वाली शारीरिक जाँच परीक्षा का आयोजन निम्न वर्णित चयन पर्वद के द्वारा कराया जायेगा ।

चयन पर्वद- पुलिस के पदों पर नियुक्ति हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के द्वितीय चरण (शारीरिक जाँच परीक्षा) का कार्य चयन पर्वद द्वारा संपन्न कराया जायेगा"

चयन पर्वद निम्न प्रकार गठित होगा:-

- I. समादेष्टा, आई०आर०बी० बटालियन ।
- II. केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल के प्रतिनिधि (समादेष्टा कोटि के)
- III. जिला कल्याण पदाधिकारी
- IV. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का पुलिस अधीक्षक स्तर का पदाधिकारी ।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"2 पुलिस के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन- पुलिस के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण में अभ्यर्थियों की शारीरिक जाँच/क्षमता की परीक्षा आयोजित की जायेगी। यह आयोजन गठित चयन पर्वद द्वारा किया जायेगा। इस हेतु विहित प्रपत्र का निर्धारण एवं प्रत्येक दिन कितने अभ्यर्थियों की शारीरिक जाँच/ क्षमता परीक्षा आयोजित की जायेगी, इसका निर्धारण झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों के जाँचोपरांत शारीरिक जाँच/क्षमता परीक्षा हेतु सूची झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा महानिदेशक एवं पुलिस

महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराया जायेगा। शारीरिक जाँच/क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची चयन पर्वद द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को उपलब्ध कराया जायेगा।

शारीरिक जाँच/क्षमता परीक्षा में सफल होने के उपरान्त ही अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा के लिए पात्र होंगे। शारीरिक जाँच/क्षमता परीक्षा तथा चिकित्सीय जाँच परीक्षा मात्र क्वालिफाईंग (Qualifying) प्रकृति का होगा। द्वितीय चरण होने वाली लिखित परीक्षा का आयोजन राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा किया जायेगा।

चयन पर्वद- पुलिस के पदों पर नियुक्ति हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के प्रथम चरण (शारीरिक जाँच परीक्षा) का कार्य चयन पर्वद द्वारा संपन्न कराया जायेगा”

चयन पर्वद निम्न प्रकार गठित होगा:-

- I. समादेष्टा, आई०आर०बी० बटालियन।
- II. केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल के प्रतिनिधि (समादेष्टा कोटि के)
- III. जिला कल्याण पदाधिकारी
- IV. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का पुलिस अधीक्षक स्तर का पदाधिकारी।

2. अधिसूचना संख्या-3667, दिनांक-15.06.2015 के कंडिका-3.4 (क)(2) में अंकित निम्न प्रावधान:-

”3.4 (क)(2) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये गये उम्मीदवार ही नियुक्ति प्रक्रिया के द्वितीय चरण में आयोजित की जाने वाली शारीरिक जाँच परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे।”

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

”3.4 (क)(2) शारीरिक जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये गये उम्मीदवार ही नियुक्ति प्रक्रिया के द्वितीय चरण में आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे।

3. अधिसूचना संख्या-3667, दिनांक-15.06.2015 के कंडिका-4 में अंकित निम्न प्रावधान:-

”4. मेंघा सूची:- लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये गये उम्मीदवारों के सूची राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा चयन पर्वद को उपलब्ध कराया जायेगा। चयन पर्वद के द्वारा कंडिका 3.4 (ख) के अनुसार शारीरिक जाँच परीक्षा ली जायेगी। शारीरिक जाँच में सफल उम्मीदवारों की सूची चयन पर्वद के द्वारा पुनः राज्य कर्मचारी चयन आयोग को उपलब्ध कराया जायेगा। इन सफल उम्मीदवारों में से लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के अनुसार अंतिम मेंघा सूची राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा प्रकाशित की जायेगी। दो या अधिक उम्मीदवारों का प्राप्तांक एक समान (टाई) होने के स्थिति में वरीयता का आधार जन्म तिथि (जिनका अधिक हो) तथा जन्म तिथि के भी समान होने की स्थिति में ऊँचाई (जिनका अधिक हो) होगा।”

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"4. मेंघा सूची:- चयन पर्षद के द्वारा कंडिका 3.2 एवं 3.4 (ख) के अनुसार शारीरिक जाँच/दक्षता परीक्षा ली जायेगी। शारीरिक जाँच/दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये गये उम्मीदवारों की सूची चयन पर्षद द्वारा झारखण्ड कर्मचारी आयोग को उपलब्ध कराया जायेगा। इन सफल उम्मीदवारों में से लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के अनुसार अंतिम मेंघासूची राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा प्रकाशित की जायेगी। दो या अधिक उम्मीदवारों का प्राप्तांक एक समान (टाई) होने के स्थिति में वरीयता का आधार जन्म तिथि (जिनका अधिक हो) तथा जन्म तिथि के भी समान होने की स्थिति में ऊँचाई (जिनका अधिक हो) होगा ।"

4. उपरोक्त के संबंध में निर्गत सभी अधिसूचनाएँ/संकल्प इत्यादि इस हद तक संशोधित समझे जायें ।

5. यह अधिसूचना निर्गत तिथि से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

तदाशा मिश्र,

सरकार के विशेष सचिव ।
